Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सवाईमाधोपुर में तहसील कार्यालय का वरिष्ठ सहायक एवं दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 2 हजार 500 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *03 जनवरी, मंगलवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सवाईमाधोपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये मुकेश कुमार मीणा वरिष्ठ सहायक, कार्यालय तहसीलदार बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर एवं उसके दलाल मेघराज उर्फ मेघी माली (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **2 हजार 500 रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने बताया कि ए.सी.बी. की सवाईमाधोपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि भूमि का हक त्याग दर्ज करवाने की एवज में मुकेश कुमार मीणा वरिष्ठ सहायक, कार्यालय तहसीलदार बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर द्वारा उसके दलाल मेघराज उर्फ मेघी माली (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से **5 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, भरतपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत** के सुपरवीजन में एसीबी की सवाईमाधोपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री विवेक सोनी** एवं उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये मुकेश कुमार मीणा पुत्र श्री मोहनचंद निवासी ताजपुर, पुलिस थाना बामनवास, जिला सवाई माधोपुर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय तहसीलदार बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर एवं उसके दलाल मेघराज उर्फ मेघी माली पुत्र श्री रामलाल निवासी बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवादी से **2 हजार** 500 **रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक, श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।